

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर


अशोक सिंघल

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा:- प्रथम अपील सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर:-161 सन् 2017  
RCMS No. 2017/00223

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुवे
07.12.17	<p>यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री अशोक सिंघल निवासी लाल बाजार धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलक्टर धौलपुर के विरुद्ध पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी की ओर से पत्रांक सुगम/सूचना अधि. /2017/6264 दिनांक 30.11.2017 की प्रति पेश की गई, जिसके द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराई गई है। सूचना प्राप्ति पुस्तिका की छाया प्रति भी पेश की गई। जिसमें अपीलान्ट के दिनांक 04.12.17 को सूचना प्राप्ति हस्ताक्षर है।</p> <p>उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त सूचना के सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई सूचना एवं प्राप्ति की प्रति मय आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी को मिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>जिला कलक्टर</b>  <b>धौलपुर</b> </p>	<p style="text-align: right;">859-60 8.12.2017</p>